न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2014

प्रार्थीनी–

लीला देवी पत्नी धनश्यामजी
जाति सोनी निवासी पुराना
बस स्टैण्ड, नयापुरा बालोतरा

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मूंगड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. रामलाल पुत्र भूरचन्द
3. मदनलाल पुत्र भूरचन्द

जाति सोनी निवासी रामसीन मूंगड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 10 दिनांक 18.11.2006 जो सरपंच, ग्राम पंचायत मूंगड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 18/03/2020

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मूंगड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम रामसीन मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 10 दिनांक 18.11.2006 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार कुल 128.937 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत मूंगड़ा द्वारा जारी उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करवाया गया हैं वह प्रार्थीनी के पैतृक व पुश्तैनी मकान है जो कि प्रार्थीनी के दादा विरदाराम के स्वामित्व का हैं एवं इस परिसर की जागीरी लिखत विरदाराम के नाम से हैं। विरदाराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने पर प्रार्थीनी के पिता शंकरलाल को गोद लिया था जो ताउम्र इस परिसर में निवास करते रहे। प्रार्थीनी का जन्म इसी मकान हुआ एवं प्रार्थीनी के पिता के देहान्त हो जाने पर इस सम्पति की वसीयत दिनांक 22.02.1988 माता सरस्वती देवी ने प्रार्थीनी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। इस प्रकार इस परिसर की विधिक रूप से स्वामित्व की हैसियत प्रार्थीनी में निहित हैं तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 का इस परिसर पर कोई हक–स्वामित्व नही हैं। अप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रार्थीनी के पिता शंकरलाल के प्राकृतिक पिता प्रतापचन्द के पोते हैं जो प्रार्थीनी के रिश्ते में काकाई भाई लगते हैं। प्रार्थीनी अपने विवाह के उपरांत अधिकाशंतः ससुराल बालोतरा में रहती है तथा इसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने उक्त परिसर को हड़प करने की नियत से ग्राम पंचायत के समक्ष झूठे तथ्य एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर बिना किसी निष्पक्ष जांच आलौच्य पट्टा जारी करवा दिया जो निरस्त योग्य हैं।

3. प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ सांठ–गांठ कर गलत रूप से बिना प्रार्थीनी की जानकारी में लाये बिना स्वंय को विवादित भूखण्ड का मालिक बताते हुए आलौच्य पट्टा विलेख जारी करवा लिया। उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड पर उत्तरदाता सं. 2 व 3 का कब्जा नही है तथा प्रार्थीनी को जब दिनांक 12.12.2013 को आलौच्य पट्टा जारी होने की जानकारी होनें पर गांव के मौजीज लोगो से पंचायती करवाने पर भी नहीं माने तथा कहा कि उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया है तब ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे की प्रमाणित नकल प्राप्त की जाकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र सम्यक् तत्परता से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीनी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मूंगड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे जारी किया गया आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त फरमाया जावें।

4. अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस अदम तामील लौटकर नहीं प्राप्त होने पर तामील प्रक्रिया पर्याप्त होना मानते हुए अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गया। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस विधिवत तामील होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नही हुआ हैं।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीनी के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना। प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड प्रार्थीनी के पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है जिसका आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच एवं परीक्षण नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा परिसर का सही मौका निरीक्षण नहीं किया तथा प्रार्थीनी को नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके अभाव में प्रार्थीनी के स्वामित्व के परिसर का आलौच्य पट्टा जारी करने की पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होने से आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं। इस संबंध मे ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने दिनांक 25.06.2004 को सरपंच, ग्राम पंचायत मूंगड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूमि जिसमें कच्चा मकान होना बताते हुए उसका पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात दिनांक 05.08.2004 को तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी द्वारा नियम 146(3) के तहत भूखण्ड की निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई किन्तु इस रिपोर्ट में कोई विशिष्ठ अभिशंषा नहीं की गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 05.07.2004 जारी किया गया जिस पर निर्धारित अवधि मे कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर दिनांक 05.10.2006 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं। इसके अनुसरण मे पट्टा सं. 10 दिनांक 18.11.2006 को जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे की गई सम्पूर्ण प्रक्रिया पुराने निवास गृहों के नियमितीकरण की गई है जबकि पट्टा विलेख नियम 167(1) के तहत सार्वजनिक नीलामी का जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की कोई नीलामी कार्यवाही किया जाना रेकर्ड पर नहीं हैं फिर भी बाजार दर पर उक्त विक्रय विलेख जारी किया गया हैं। आलौच्य विक्रय विलेख जारी होने से पूर्व नियम 153 के तहत अंतिम अधिकतम बोली उद्घोषित नहीं की गई हैं और न ही इसके आधार पर नियम 154 के तहत विक्रय को पुष्ट किया जाना पाया गया हैं। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा इस परिसर को अपना पुश्तैनी होना ग्राम पंचायत के समक्ष प्रकट किया हैं, इसके समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं बल्कि अप्रार्थी रामलाल की ओर से निष्पादित शपथ पत्र

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

एवं पडौसी जसराज के बयान करवाये गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित परिसर का आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं इसके विरूद्ध प्रार्थीनी के पक्ष में विधिक रूप से स्वामित्व दस्तावेज इस निगरानी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने में प्रक्रियात्मक अनियमितता, स्वामित्व व कब्जे की जांच के बिना अवैधता किया जाना पाया जाता है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड पैतृक एवं अपने स्वामित्व का होने के समर्थन मे प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर उसका परीक्षण एवं ग्राम पंचायत के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्याय एवं प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक हैं। इस आधार पर प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीनी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मूंगड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा सं. 10 दिनांक 18.11.2006 अपास्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत मूंगड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई के साथ साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण नये सिरे से किया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)